

अध्याय VII

नीति के निरूपण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में सार्वजनिक रूप से सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विवरण

निर्दिष्ट परियोजनाओं पर कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकती हैं।

आरटीआई से संबंधित मुद्दे भी निर्धारित शासित कानून के अनुसार संबोधित किए जाते हैं।

वाई-फाई सेवाओं के मामले में रेलवे स्टेशनों पर कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और / या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सामान्य जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है।